भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4886** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 मार्च**, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है

सामुद्रिक नौचालन का आधुनिकीकरण

†**4886. डॉ. सुकान्त मजूमदार:**

श्री निशीथ प्रामाणिक:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्री भोला सिंह:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सामुद्रिक नौचालन के विकास, देख-रेख और प्रबंधन में सहायता हेतु नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021, विधान लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में बनाए गए प्रकाश-स्तंभों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी निधि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने धरोहर प्रकाश-स्तंभों के विकास हेतु उन्हें चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की योजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामुद्रिक नौचालन के आधुनिकीकरण की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : जी, हां। भारत में सामुद्रिक नौचालन सहायकों के विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए; नौचालन सहायकों के प्रचालकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए; और समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय लिखतों, जिनका भारत एक पक्षकार रहा है, के तहत दायित्व के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2021 को "नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायक विधेयक, 2021" को पारित किया गया है।

(ग): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित देश की समग्र तट रेखा के साथ 195 द्वीपस्तंभ स्थापित किए गए हैं। द्वीपस्तंभों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	2017-18	53.78
2.	2018-2019	59.43
3.	2019-2020	88.14

(घ) : ऐसे 18 द्वीपस्तंभों की पहचान की गई है और उन्हें विरासत द्वीप स्तंभों के रूप में विकसित किए जाने का कार्य शुरू किया गया है क्योंकि इन द्वीपस्तंभों ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है:

(ड.) और (च) : प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ-साथ नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायकों की भूमिका "विजुअल एड्स टू नेविगेशन" पर आधारित शुद्ध निष्क्रिय रूप से बदलकर "रेडियो एंड डिजीटल बेस्ड एड्स टू नेविगेशन" हो गई है।

केंद्र सरकार ने आटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) ट्रांसपोंडर फिटिंग वाले सभी जलयानों का ट्रैक रखने के लिए भारतीय तट रेखा के साथ 87 भौतिक तट स्टेशनों सहित डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजीशिनिंग सिस्टम (डीजीपीएस); नेशनल आटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएआईएस) जैसे नौचालन के लिए आधुनिक सामुद्रिक सहायक स्थापित किए हैं तथा कच्छ की खाड़ी में अत्याधुनिक 9 रडार नेटवर्कों के साथ जलयान यातायात सेवा (वीटीएस) स्थापित की है।

अनुबंध

विकास शुरू किए जाने के लिए विरासत द्वीपस्तंभों की राज्य-वार सूची :

क्रम सं.	दीपस्तंभ का नाम	राज्य का नाम
1.	पिरम द्वीप	गुजरात
2.	सामियानी द्वीप	गुजरात
3.	जाफराबाद	गुजरात
4.	सागर द्वीप	पश्चिम बंगाल
5.	फाल्स प्वाइंट	ओडिशा
6.	मिनीकॉय	लक्षद्वीप
7.	ओयस्टर रोक	कर्नाटक
8.	कौप	कर्नाटक
9.	सैक्रामेंटो	आंध्र प्रदेश
10.	वकालापुड़ी	आंध्र प्रदेश
11.	सांतापल्ली	आंध्र प्रदेश
12.	जयगढ़	महाराष्ट्र
13	महाबलीपुरम	तमिलनाडु
14.	मोटम प्वाइंट	तमिलनाडु
15.	मन्नपड	तमिलनाडु
16	थंगेसरी	केरल
17	अल्लेप्पी	केरल
18	कडालोर प्वाइंट	केरल

*****